



राष्ट्रीय अनुसूचति जातआयोग

प्रलिस के लयि:

राष्ट्रीय अनुसूचति जातआयोग (NCSC), भारत के संवधान का अनुच्छेद 338, [राष्ट्रीय अनुसूचति जनजातआयोग \(NCST\)](#) ।

मेन्स के लयि:

राष्ट्रीय अनुसूचति जातआयोग (NCSC), केंद्र तथा राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लयि कल्याण योनाएँ और इन योनाओं का प्रदर्शन ।

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रपति को [राष्ट्रीय अनुसूचति जातआयोग \(NCSC\)](#) की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 सौपी ।

- रिपोर्ट में भारत के संवधान में नहिलि [अनुसूचति जातयों \(SC\)](#) के संवधानिक सुरक्षा उपायों की सुरक्षा के संबंध में आयोग को सौपे गए मुद्दों पर वभिन्न सफिरशें शामिल हैं ।
- भारत के संवधान के [अनुच्छेद 338 के अंतगत NCSC](#) को दयि गए आदेश के अनुसार, यह आयोग का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को वार्षिक तथा अन्य कसि भी समय पर जैसा अनुसूचति जातआयोग उचति समझे संवधानिक सुरक्षा उपायों के कामकाज पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।

राष्ट्रीय अनुसूचति जातआयोग (NCSC) क्या है ?

- **परचिय:**
 - NCSC एक [संवधानिक नकिय](#) है जसिकी स्थापना अनुसूचति जातयों के शोषण के वरुद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान करने तथा उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हतियों को बढ़ावा देने के साथ उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से की गई है ।
- **इतहिस:**
 - **वशेष पदाधिकारी:**
 - प्रारंभ में संवधान में [अनुच्छेद 338](#) के तहत एक वशेष अधिकारी की नयुक्तिका प्रावधान था । वशेष अधिकारी को अनुसूचति जात एवं अनुसूचति जनजात के आयुक्त के रूप में नामित कयि गया था ।
 - **65वाँ संवधानिक संशोधन अधनियम, 1990:**
 - इसने संवधान के [अनुच्छेद 338 में संशोधन](#) कयि और साथ ही एक सदस्यीय प्रणाली के स्थान पर अनुसूचति जात (SC) तथा अनुसूचति जनजात (ST) के लयि बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग स्थापति कयि ।
 - **89वाँ संवधानिक संशोधन अधनियम, 2003:**
 - अनुच्छेद 338 में संशोधन कयि गया, साथ ही SC तथा ST के लयि तत्कालीन राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2004 से दो अलग-अलग आयोगों द्वारा प्रतस्थापति कयि गया, जो थे:
 - [अनुच्छेद 338 के अंतगत राष्ट्रीय अनुसूचति जातआयोग \(NCSC\)](#) ।
 - अनुच्छेद 338A के अंतगत [राष्ट्रीय अनुसूचति जनजातआयोग \(NCST\)](#) ।
- **संरचना:**
 - NCSC में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं तीन अतरिकित सदस्य शामिल हैं ।
 - राष्ट्रपति इन पदों की नयुक्तिकरते हैं, जैसा कि उनके हस्ताक्षर एवं मुहर वाले वारंट द्वारा स्वीकार होता है ।
 - उनकी सेवा की शर्तें एवं कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा नरिधारति कयि जाता है ।
- **कार्य:**
 - अनुसूचति जात के लयि संवधानिक तथा अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधति सभी मामलों की जाँच एवं नगिरानी करना और साथ ही उनके कामकाज का मूल्यांकन भी करना;
 - अनुसूचति जात के अधिकारों एवं सुरक्षा उपायों से वंचति होने से संबंधति वशिष्ट शकियतों की जाँच करना;

- अनुसूचित जातों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना तथा सलाह देना एवं संघ या राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;
- राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से तथा ऐसे अन्य समय पर जब वह उचित समझे, उन सुरक्षा उपायों के कामकाज पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- अनुसूचित जातों के संरक्षण, कल्याण एवं सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये उन सुरक्षा उपायों के साथ-साथ अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये संघ या राज्य द्वारा उठाए जाने वाले उपायों के बारे में सफ़ाई करना।
- वर्ष 2018 तक आयोग को **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)** के संबंध में भी समान कार्य करने की आवश्यकता थी। **102वें संशोधन अधिनियम, 2018** द्वारा इसे इस ज़िम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया।

■ NCSC की शक्ति:

- आयोग को अपनी संचालन प्रक्रिया को वनियमिति करने की शक्ति प्राप्त है।
 - किसी भी मामले की जाँच करते समय अथवा किसी शिकायत की जाँच करते समय आयोग को किसी वाद का विचारण करने वाले **सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं**। आयोग की शक्तियों में नमिनलखिति शामिल हैं-
 - भारत के किसी भाग के किसी व्यक्ति को **सम्मान करना** और हाज़रि कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना,
 - दस्तावेज़ों के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करना,
 - शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, और
 - किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड की प्रतियों की अपेक्षा करना।
 - केंद्र और राज्य सरकारों को अनुसूचित जातों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतित्त मामलों पर आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

अनुसूचित जातों के उत्थान के लिये अन्य संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- **अनुच्छेद 15:** यह अनुच्छेद विशेष रूप से जातों के आधार पर भेदभाव के मुद्दे को संबोधित करता है, अनुसूचित जातियों (SC) के संरक्षण और उत्थान पर बल देता है।
- **अनुच्छेद 17:** यह अनुच्छेद **अस्पृश्यता** को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर रोक लगाता है। यह सामाजिक भेदभाव को खत्म करने तथा सभी व्यक्तियों की समानता एवं सम्मान को बढ़ावा देता है।
- **अनुच्छेद 46:** यह अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जातियों और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से बचाने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 243D(4):** यह प्रावधान क्षेत्र में उनकी आबादी के अनुपात में **पंचायतों** (स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों) में अनुसूचित जातों के लिये सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है।
- **अनुच्छेद 243T(4):** यह प्रावधान क्षेत्र में उनकी आबादी के अनुपात में **नगर पालिकाओं** (शहरी स्थानीय निकायों) में अनुसूचित जातों के लिये सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं (क्रमशः) में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।

आगे की राह

- कुछ आलोचकों का तर्क है कि नौकरशाही बाधाओं, राजनीतिक हस्तक्षेप और अपर्याप्त प्रवर्तन तंत्र ने NCSC की प्रभावशीलता को सीमित कर दिया है।
- इसके अतिरिक्त, **शिकायतों के समाधान में देरी और SC समुदायों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व** के बारे में भी चिंताएँ हैं।
- इन मुद्दों के समाधान के लिये, NCSC को बढ़ी हुई स्वायत्तता, बढ़े हुए संसाधनों और प्रणालीगत भेदभाव को दूर करने के लिये अधिक सक्रिय उपायों से लाभ हो सकता है।
- आउटरीच कार्यक्रमों को मज़बूत करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और नागरिक समाज संगठनों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना भी अनुसूचित जातों के अधिकारों की सुरक्षा में इसकी प्रभावशीलता में योगदान दे सकता है।

अनुसूचित जातों का उप-वर्गीकरण

UPSC सिविल सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. 'सूड अप इंडिया स्कीम' के संदर्भ में, नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

1. इसका प्रयोजन SC/ST एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है।
2. यह SIDBI के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1

- (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

- स्टैंड अप इंडिया स्कीम 5 अप्रैल, 2016 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। अतः कथन 1 सही है।
- इस योजना से बड़ी संख्या में उद्यमियों को लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि इसका उद्देश्य प्रत्येक श्रेणी के उद्यमी के लिये औसतन प्रति बैंक शाखा (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) कम-से-कम दो ऐसी परियोजनाओं को सुवर्धन बनाना है।
- यह स्कीम 10,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है। अतः कथन 2 सही है।

अतः विकल्प (c) सही है।

??????:

प्रश्न.1 स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एस.टी) के पार्टी भेदभाव को दूर करने के लिये, राज्य द्वारा की गई दो मुख्य वधिका पहलें क्या हैं? (2017)

प्रश्न.2 बहु-सांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जातिकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? उदाहरणों सहित वस्तुतः उत्तर दीजिये। (2020)

प्रश्न.3 “जाति व्यवस्था नई-नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है। अतः भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है।” टिप्पणी कीजिये। (2018)

प्रश्न.4 इस मुद्दे पर चर्चा कीजिये कि क्या और किस प्रकार दलित प्राख्यान (एस.एस.एन) के समकालीन आंदोलन जाति विनाश की दशा में कार्य करते हैं। (2015)